न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :–

बनाम

प्रतिवादी :–

हनुमानराम पुत्र रामचन्द्र गुर्जर
निवासी गांगवा तह. परबतसर

तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री देवेन्द्र कुमार मालाकर अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/3/22

मुकदमां नम्बर :– 2022/62

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 746 रकबा 0.91 हैक्टयर व खसरा नम्बर 648 रकबा 1.44 हैक्टयर स्थित है। जिसमें स्वर्गीय नन्दाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी गांगवा का हक हिस्सा आया हुआ है। नन्दाराम पुत्र देवाराम के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था शुरू से ही वादी के साथ ही निवास करते आ रहा था। जिसके स्वर्गवास तक समस्त खार्चा इत्यादी सब्झी वादी लगातार रूप से वहन करता आया है। नन्दाराम पुत्र देवाराम का स्वर्गवास दिनांक 12.01.2020 को हो गया है स्वर्गीय नन्दाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत इस उद्धेश्य से वादी के पक्ष में तकमिल की गई की वादी द्वारा ही मेरी सेवा सुरश्रा की गई तथा मेरी सम्पति को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो इस हेतु वादी के पक्ष में वसीयत नॉन जूडिसियल स्टाम्प किमत रूपये 500 पर के पक्ष में निष्पादित की गई जिस पर नन्दाराम के अगुष्ठा निशान है तथा दो गवाहान के हस्ताक्षर है। स्वर्गीय नन्दाराम पुत्र देवाराम ने ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 746 रकबा 0.91 हैक्टयर व खसरा नम्बर 648 रकबा 1.44 हैक्टयर जिसके गत खसरा नम्बर 438 , 487 कुल रकबा 17–16 बीघा में निहित अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में दिनांक 11.01.2020 को तकमिल की तथा उसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक किया हुआ है। वादी बाल्यअवस्था से ही वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजात में पिता का नाम नन्दाराम दर्ज है। स्वर्गीय नन्दाराम के वादी के अतिरित अन्य कोई उत्तराधिकारी वारिसांन नहीं है तथा वादी स्वर्गीय नन्दाराम के जीवनकाल से ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज चला आ

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

रहा है। स्वर्गीय नन्दाराम का दिनांक 12.01.2020 को स्वर्गवास होने के पश्चात नन्दाराम के समस्त सामाजिक किर्याक्रम वादी द्वारा निर्वहन किये गये तथा स्वर्गीय नन्दाराम की पाग भी वादी के बाधी गई तथा सम्पूर्ण खर्चा वादी द्वारा वहन किया गया है। वसियत रजिस्ट्रर्ड नहीं होने से तहसीलदार ने नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार कर दिया है जिससे मजबुरन यह वाद पेश करना पड़ रहा है। वादी ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 746, 648 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि में दर्ज नन्दाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया फरमाया जावे।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह किशनलाल पुत्र भोलूराम गुर्जर उम्र 54 वर्ष व मांगीलाल पुत्र लिखमाराम उम्र 57 वर्ष के शपथ पत्र पेश किये है, ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की गई।
3. वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में वर्णित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी के अधिवक्ता की बहस एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने वाद के साथ प्रदर्श –1 ए वसीयतनामा पेश किया है जिसमें नन्दाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर उम्र 84 वर्ष निवासी गांगवा द्वारा अंकित किया गया है कि अपनी स्वेच्छा से हनुमानराम पुत्र रमचन्द्र जाति गुर्जर निवासी गांवा मेरे संगे बडे भाई का पौत्र है तथा मेरी धर्मपत्नी स्व. मगनीदेवी के जीवनकाल से ही मेरे पास एक पुत्र की भांति निवास करते है मेरे ही परिवार कार्ड में नाम दर्ज चला आ रहा है मेरी पत्नी व मेरी सेवा लगातार हनुमानराम की करता आ रहा है ग्राम में रहवासीय मकान के अतिरिक्त ग्राम गांगवा की राजस्व सीमा में स्थित खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 487 रकबा 5–12 बीघा जिसका मै ही एक अकेला काबिज खातेदार हूँ तथा ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 487 रकबा 8–06 बीघा व खसरा नम्बर 438 रकबा 9–10 बीघा भूमि जिसमें 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हूँ। इसका बोलता नाम बंधावाला खेत है उक्त सम्पूर्ण भूमि व इसके अतिरिक्त मेरें पास जो भी चल सम्पत्ति आज दिन है व भविष्य में मेरे पास रहेगी वह सम्पूर्ण मै आज दिन अपनी स्वेच्छा से

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

आपके पक्ष (हनुमानराम) में वसीयत करत हूँ। खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 4 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त भूमि में नवीन खसरा नम्बर 746, 487, 648 कायम हुए है। वादी ने प्रदर्श – 5 नन्दाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खसरा नम्बर 648 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि प्रदर्श– 3 प्रस्तुत की है जिसकी खातेदारी नन्दाराम पुत्र देवाराम गुर्जर की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.91 हैक्टयर भूमि नन्दाराम पुत्र देवाराम गुर्जर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, कार्यालय ग्राम पंचायत गांगवा का प्रदर्श– 6 सजरा प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें ग्राम गांगवा के नन्दाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर के वारिसान में हनुमान पुत्र नन्दाराम होना बताया है इसके अतिरिक्त नन्दाराम के कोई वारिस नहीं है। उक्त वसियत में वर्णित गवाह किशनलाल पुत्र भोलूराम गुर्जर ने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ पत्र पेश किया है जिसमें स्वीकार किया है कि उक्त वसीयत मेसे सामने लिखि गई है जिसमें गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर है, तथा नोटेरी पब्लिक से मेरे रूबरू तस्दीक की गई है। जिससे वादी के कथन साबित होते है। स्पष्ट होता है कि खातेदार नन्दाराम पुत्र देवाराम गुर्जर के कोई जाईन्दा वारिसान नहीं होने से नन्दाराम व उसकी पत्नी की सेवा व देख रेख एक पुत्र की हैसियत से वादी ने ही है ओर नन्दाराम ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि वादी को जरिये वसीयत दी है। जिससे वादी का वाद साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 746 रकबा 0.91 हैक्टयर भूमि व खसरा नम्बर 648 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि नन्दाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर वादी हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर